बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

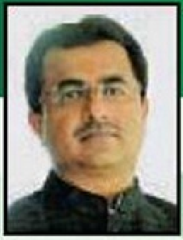

इंदिरा आवास योजना

प्रखंड स्तरीय विशेष शिविर - 17 अगस्त, 2013 (शनिवार)

दिनांक 17 अगस्त, 2013 (शनिवार) को राज्य के सभी प्रखंडों में वर्ष 2013-14 के लिए स्वीकृति प्राप्त लाभार्थियों को इंदिरा आवास योजना के तहत सहायता अनुदान की राशि का भुगतान बैंक पासबुक के माध्यम से माननीय जन प्रतिनिधिगण एवं वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में किया जायेगा।

सभी स्वीकृति प्राप्त लाभार्थियों से निवेदन है कि वे अपने प्रखंड में आयोजित शिविर में उपस्थित होकर अपना राशि प्रविष्ट किया हुआ पासबुक प्राप्त करें।

लाभार्थीगण

कृपया निम्न बातों पर ध्यान दें

01. इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों का चयन स्थायी प्रतीक्षा सूची के आधार पर आरोही क्रम में किया जाता है।
02. इंदिरा आवास शिविर में किसी प्रकार की शिकायत दर्ज करने के लिए विशेष काउंटर बनाये गये हैं जहां विडियोग्राफी की व्यवस्था की गयी है। शिकायतकर्ता के बयान की विडियोग्राफी की जायेगी एवं उनके द्वारा दर्ज शिकायत की प्राप्ति रसीद भी उन्हें दी जायेगी।
03. इंदिरा आवास योजना के लाभुक दलालों एवं बिचौलियों से सावधान रहें।
04. प्रथम किस्त के रूप में रुपये 50,000 (पचास हजार रुपये) दिये जा रहें हैं जिससे छत ढलाई तक काम पूर्ण करना है। द्वितीय किस्त की राशि रुपये 20,000 (बीस हजार रुपये) दिये जायेंगें एवं नक्सल प्रभावित जिलों (औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, गया, जहानाबाद, अरवल, मुंगेर, जमुई, नवादा, सीतामढ़ी एवं प. चम्पारण) में यह राशि क्रमशः रुपये 50,000 एवं 25,000 अनुमान्य है।
05. द्वितीय किस्त की राशि के भुगतान हेतु छत स्तर तक निर्मित आवास के फोटो की अनिवार्यता है जिसमें घर को दर्शाता हुआ लाभार्थी का फोटो हो।
06. छत ढलाई तक निर्मित मकान का फोटो वसुधा केन्द्र अथवा प्रखंड कार्यालय के द्वारा अधिकृत फोटोग्राफर के माध्यम से भी प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।
07. लाभुक को आवास का निर्माण छः माह के अन्दर स्वयं पूर्ण करना अनिवार्य है। निर्धारित अवधि में आवास पूर्ण नहीं करने पर लाभुक के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने का प्रावधान है तथा पूर्ण राशि वसूल भी की जा सकती है।
08. महादलित वर्ग के लाभार्थियों के लिए राज्य सरकार ने **''मुख्यमंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना''** स्वीकृत की है, जिसके अन्तर्गत प्रावधान है कि द्वितीय किस्त की प्राप्ति के 2 माह के अन्दर घर पूर्ण कर लेने पर 2000 रुपये अतिरिक्त प्रोत्साहन स्वरूप दिया जायेगा।
09. निर्मल भारत अभियान एवं मनरेगा के तहत शौचालय का निर्माण कराने की व्यवस्था है। इसमें सम्पूर्ण स्वच्छता मिशन की ओर से 4600 रुपये एवं मनरेगा से 4500 रुपये अनुमान्य है। लाभार्थी को न्यूनतम 900 रुपये का अंशदान कर शौचालय निर्माण कराना है। इस संबंध में इंदिरा आवास के लाभार्थी प्रखंड विकास पदाधिकारी से संपर्क करें।
10. इंदिरा आवास की द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान लाभुक को तभी किया जायेगा जब उनके द्वारा, घर की छत ढलाई तथा शौचालय का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया हो।
11. इंदिरा आवास के लाभार्थी अपने आवास के पास फलदार वृक्ष लगावें जिस हेतु मनरेगा से सहायता अनुमान्य है।

निवेदक

ग्रामीण विकास विभाग, बिहार

IPRD-5525 S(Gramin Vikas)13-14

किसी प्रकार की कठिनाई होने पर दूरभाष संख्या 9431818239 पर संपर्क किया जा सकता है या फैक्स संख्या 0612-2217857 अथवा iayrddbih@gmail.com पर इमेल के द्वारा शिकायत भेजी जा सकती है।